न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—331/2016/223 आर.टी.एक्ट (2016/00331)

1. रामचन्द्र तथाकथित दत्तक पुत्र श्री ज्वारा जाति कुमावत निवासी आमली खेडा दाव सावर तहसील सावर जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. छोटूलाल पुत्र मांगीलाल
2. सुगना पुत्र मांगीलाल(मृतक) जरिए वारिसानः—
   2/1 मु0 गौरादेवी बेवा सुगना
   2/2 रामदेव पुत्र सुगना
   2/3 रमेश उर्फ रामेश्वर पुत्र सुगना
   2/4 सुखपाल पुत्र सुगना
   2/5 मीना पुत्री सुगना
   समस्त जाति कुमावत निवासी आमली खेडा तहसील सावर जिला अजमेर।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार सावर जिला अजमेर।
4. भीलवाडा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मेहरूकलां तहसील सावर जिला अजमेर जरिए प्रबंधक।

रेस्पोर्डेंट्स

5. सुरेश पुत्री गोपी
6. दिनेश पुत्र गोपी
7. कालूराम पुत्र गोपी
8. बरदा पुत्र माधू
9. दाखी पत्नि रघुनाथ
10. रामलाल पुत्र रघुनाथ
11. रतनलाल पुत्र रघुनाथ
12. सत्यनारायण पुत्र रघुनाथ
13. छोटू पुत्र रघुनाथ
14. छोटी पुत्री रघुनाथ
15. छेवीलाल पुत्र हरनाथ
16. रणजीत पुत्र हरनाथ
17. गंगाराम पुत्र लालू
18. बजरंग पुत्र लालू
19. सोहनी पुत्री लालू
20. लाडा पत्नि लालू
21. हीरा पुत्र कजोड
22. ईश्वर पुत्र कजोड
    समस्त जाति कुमावत निवासी आमली खेडा तहसील केकडी हाल तहसील सावर जिला अजमेर।

प्रफोर्मा रेस्पोर्डेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी राजस्व वाद संख्या 190/2014.

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

उपस्थितः—

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी अभिभाषक अपीलांट
2. श्री एस0पी0औझा अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2/1 से 2/5
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 3
4. रेस्पोडेंट संख्या 1, 4 से 22 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—19.05.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 190/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 2 ने एक वाद विरूद्ध अपीलांट व प्रफोर्मा रेस्पोडेंट्स के विरूद्ध अंतर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। तत्पश्चात अपीलांट की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली को कोर्ट केम्प पीपलाज में नियत कर प्रकरण में दिनांक 15.6.2015 को निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 190/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2015 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 1, 4 से 22 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.6.2015 बिना प्रार्थी को कैम्प कोर्ट पीपलाज का नोटिस दिये पारित किया गया है क्योंकि न तो प्रार्थी कैम्प कोर्ट पीपलाज में उपस्थित हुआ और न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को कैम्प कोर्ट का कोई नोटिस जारी किया गया अर्थात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की प्रार्थी को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। दिनांक 29.6.2016 को राजस्व रिकार्ड की नकल निकलवाने पर प्रार्थी को ज्ञात हुआ जिस पर प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया व प्रतिलिपि प्राप्त होते ही तुरन्त फीस आदि की व्यवस्था कर उपरोक्त अपील अन्दर मियाद न्यायालय के समक्ष पेश की जा रही है। इसके बावजूद भी न्यायालय उपरोक्त अपील को मियाद बाहर मानता है तो मियाद को कण्डोन कर उपरोक्त अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाना न्यायोचित है ताकि प्रार्थी को न्याय प्राप्त हो सके। प्रार्थी विवादित आराजी मुतनाजा पर आज भी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को बिना सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। उसमें मियाद को कण्डोन किया जाकर प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित किया जाना न्यायिक रूप से अनिवार्य है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है

6. हमने अभिभाषक उभयपक्षों द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।
R.B.J (5) 1998 PAGE 257- **LIMITATION ACT, 1963-SECTION 5-** *When no notice was served to the aggrieved person - Limitation will start from the date of knowledge.*
चूंकि अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में कहे गए कथन सत्य प्रतीत होते है। चूंकि परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि वे पक्षकारों के अधिकारो को नष्ट नहीं करे। चूंकि प्रथम अपील पक्षकार का वैधानिक व बहुमूल्य अधिकार है उसे विलंब के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता जबकि अपीलांट का दुराश्य नहीं है। केवल तकनीकी आधारों पर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता तथा नियमानुसार उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से एवं न्यायहित में अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि पक्षकार को कैम्प कोर्ट पीपलाज का नोटिस दिये बगैर अपीलांट के विरुद्ध निर्णय पारित नहीं किया जा सकता था। पत्रावली तलबी में नियत थी व तलबी पूर्ण नहीं हुई थी तो उपरोक्त प्रकरण को बहस में नियत नहीं किया जा सकता था। इसके बावजूद भी बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री पारित किया है वह अपील के माध्यम से काबिल निरस्तनीय है। वाद का निस्तारण पूर्ण प्रक्रिया के तहत ही किया जा सकता है बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये किसी भी प्रकरण का निस्तारण नहीं किया जा सकता है परन्तु उपरोक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट को सूचित किये, बिना अपीलांट का जवाब दावा लिये, बिना तनकी बनाये व बिना साक्ष्य लिये एक तरफा तौर पर आदेश पारित किया है जो कि किसी भी सूरत में बहाल रखे जाने योग्य नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

किया गया है कि किसी भी व्यक्ति के अधिकारों को खत्म करने से पूर्व उसे सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये जाने के पश्चात ही कोई आदेश पारित किया जा सकता है परन्तु उपरोक्त प्रकरण में तो अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया व गलत तौर पर फर्जकारी करके अपीलांट की हाजरी भी दर्ज कर दी गई है जो कि अपने आप में गंभीर त्रुटि है। अपीलांट विवादित आराजी मुतनाजा का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होकर काबिज चला आ रहा है परन्तु एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को बिना सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये उसे उसकी खातेदारी काश्तकारी की आराजी से महरूम नहीं किया जा सकता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को बिना सुनवाई का अवसर दिये जो निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी मुतनाजा पर विपक्षी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का कोई कब्जा नहीं है इसके बावजूद भी बिना कब्जे के रेस्पोडेन्ट के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित नहीं की जा सकती। जब प्रकरण उनके समक्ष विचाराधीन था तो पूर्ण प्रक्रिया के तहत ही उसका निस्तारण किया जाना चाहिए था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के मजमेआम में ग्रामवासियों द्वारा दिये बयान को आधार मानते हुए निर्णय व डिक्री पारित की है। हल्का पटवारी द्वारा पेश जमाबंदी पर जब तक प्रदर्श मार्क नहीं कर दिया जाता तब तक उपरोक्त जमाबंदी को साक्ष्य में ग्रहा नहीं किया जा सकता तथा न ही उपरोक्त जमाबंदी का आधार लेकर अपीलांट के विरूद्ध निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 190/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2015 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि विवादित आराजीयात वाकै ग्राम आमली व ग्राम पिपलाज तहसील केकडी हाल सावर जिला अजमेर में स्थित है। पत्रावली में वर्णित आराजीयात, जिसमें खाता संख्या 295, 430 व 527 में स्व0 श्री मांगीलाल का पूरा हिस्सा था व आराजी खाता संख्या 104 की आराजीयात में स्व0 श्री मांगीलाल का 1/8 हिस्सा था तथा वे अपने हिस्से अनुसार ही उक्त आराजीयात पर काबिज थे। स्व. श्री मांगीलाल, जिनके कि परिवार का सजरा पत्रावली में वर्णित किया गया है, के कुल तीन पुत्र थे जो कि क्रमशः वादी सं.1 व 2 एवं प्रतिवादी सं. 1 है। प्रतिवादी सं.1 रामचन्द्र उसकी नाबालिग अवस्था में ही जुवारा के गोद चला गया था तथा गोद दिये जाते समय स्व. श्री मांगीलाल व जुवारा की मौजूदगी में प्रचलित सभी सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार गोद लेने व देने की रस्म पूरी की गई थी तथा इस हेतु दत्तक होम इत्यादि की रस्म भी की गई थी तथा श्री जुवारा ने प्रतिवादी सं. 1 को गोद लेना स्वीकार किया तथा स्व. श्री मांगीलाल ने गोद देना स्वीकार किया था। प्रतिवादी सं0 1 के जुवारा के गोद जाने के पश्चात् उनके अपने जन्मदाता पिता श्री मांगीलाल की तमाम चल व अचल सम्पत्ति में हक समाप्त हो गये तथा जुवारा की सम्पत्ति में उन्हें वैधानिक रूप से सभी पुत्र के हक प्राप्त हो गये तथा वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में भी श्री जुवारा की मृत्यु उपरांत आराजीयात रामचन्द्र मुतबन्ना जुवारा के नाम से दर्ज है। उक्त प्रकार से प्रतिवादी सं.1 रामचन्द्र के जुवारा के गोद चले जाने के पश्चात् उसका स्व. श्री मांगीलाल की आराजीयात में किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं है तथा ना ही कोई कब्जा प्रतिवादी सं. 1 का स्व. श्री मांगीलाल की आराजीयात पर है, किन्तु प्रतिवादी सं. 1 की नीयत खराब है तथा अपनी उसी खराब नीयत का फायदा उठाते हुए उसने राजस्व अधिकारियों के समक्ष गलत तथ्य पेश कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

मिलीभगत कर मांगीलाल की मृत्यु के उपरांत खाता सं. 430 की आराजीयात में अपना नाम भी मृतक मांगीलाल के स्थान पर दर्ज करवा लिया है तथा अब वह आराजी खाता सं. नं. 295, 104 व 527 की आराजी में भी अपना नाम मृतक मांगीलाल के स्थान पर दर्ज करवाना चाहता है तथा साथ ही साथ अवैध रूप से वादीगण को आराजीयात से बेदखल करना चाहता है। जबकि उसका स्व. श्री मांगीलाल की आराजीयात में कोई कब्जा, हक व अधिकार नहीं है तथा ना हो सकता है। प्रतिवादी सं.1 द्वारा उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकोर्ड में जो मिलीभगत कर मृतक मांगीलाल की मृत्योपरांत अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाया गया है उस अवैध कार्यवाही से मजबूर होकर वादीगण को यह वाद पत्र प्रस्तुत करना पड़ रहा है तथा वादीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण को आराजी खाता सं. 295, 527 में स्व. श्री मांगीलाल के स्थान पर पूरे रकबे का खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक है तथा इसी प्रकार आराजी खाता सं. 104 में मांगीलाल के स्थान पर उनके हिस्से तक आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जाना आवश्यक है तथा इसी प्रकार आराजी खाता सं. 430 में प्रतिवादी सं. 1 का नाम हटाया जाकर वादीगण को उक्त आराजी का भी पूर्ण खातेदार कृषक घोषित किया जाना आवश्यक है जिस कारण यह वाद प्रस्तुत है प्रतिवादी सं.1 मय उसके एजेन्ट रिश्तेदारान आदि को जरिये न्यायालय की स्थायी निषेधाज्ञा सदैव के लिए इस हेतु भी पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि वे स्व. श्री मांगीलाल की हिस्से की तमाम आराजी में जिसके कि एकमात्र विधितः खातेदार वादीगण हैं, को उनके कब्जे, काश्त, उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें, ना ही ऐसा कोई कृत्य करे जिससे उन्हें आराजीयात के शांतिपूर्ण कब्जे, उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न हो तथा साथ ही साथ प्रतिवादी सं. 1 को इस हेतु भी पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वो आराजी खाता सं. 430 में जो 1/3 हिस्से के इन्द्राजात उसके नाम गलत रूप से दर्ज किये गये हैं, उसके आधार पर आराजीयात को विक्रय बक्षीस इत्यादि नहीं करें। प्रतिवादी सं. 4 के पक्ष में खाता सं. 430 के सम्बन्ध में जो इन्द्राजात रामचन्द्र के हिस्से बाबत् किये गये हैं, उन्हें भी जमाबन्दी से विलोपित किया जाकर रामचन्द्र का नाम जमाबन्दी से हटाया जाना न्यायोचित है। जिस कारण की यह वाद प्रस्तुत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

9. हमनें अभिभाषक उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 2 ने एक वाद विरूद्ध अपीलांट व प्रफोर्मा रेस्पोडेंट्स के विरूद्ध अंतर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की बहस सुन कर प्रकरण में कार्यवाही करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली को कोर्ट केम्प पीपलाज में नियत कर प्रकरण में दिनांक 15.6.2015 को निर्णय व डिक्री पारित की गई। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 15.6.2015 से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली को कैम्प कोर्ट पीपलाज में बिना अपीलांट को सूचित किए नियत कर प्रकरण में अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिए निर्णय व डिक्री पारित की गई है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य न्यायालय हाजा के समक्ष दृष्टिगत हुए कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 के अभिभाषक द्वारा वकालतनामा दिनांक 24.4.2015 को प्रस्तुत किया गया है व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कैम्प कोर्ट पीपलाज में किए गए निर्णय व डिक्री दिनांक 15.6.2015 को अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं उपस्थित थे, व उन्होंने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने बयान में जुवारा के गोद पुत्र जाने की बात को नकारा है। तो इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि अपीलांट को कैम्प कोर्ट पीपलाज बाबत कोई जानकारी नहीं रही या उन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। इन सब दस्तावेजों से यह बात स्पष्ट है कि उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय पर लगाए गए आक्षेप निराधार है। अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 उन्हें साबित करने में असफल रहे हैं।

अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपील प्रस्तुत कर जो अनुतोष चाहा गया है, उस बाबत न्यायालय हाजा ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय व पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2068–2071 के अवलोकन से यह पाया कि रामचन्द्र मुतबन्ना जुवारा कौम कुमावत सा0देह खातेदार जो कि खसरा नम्बर 339, 340, 341, 342, 343, 345, 348, 349, 350, 3089/339 कुल किता 10 कुल रकबा 1.52 है0 का खातेदार काश्तकार है व इससे स्पष्ट है कि रामचन्द्र जुवारा का गोदपुत्र है तथा इसके अतिरिक्त पत्रावली पर उपलब्ध रामचन्द्र का पहचान पत्र जिसमें भी रामचन्द्र पुत्र जुवारा अंकित है जो कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रमाणित राजकीय दस्तावेज है। जिसकी प्रमाणिकता संदेह से परे है। पत्रावली पर मांगीलाल कुमावत का मृत्यु प्रमाण पत्र भी उपलब्ध है, इससे यह स्पष्ट है कि रामचन्द्र अपने जाईन्दा पिता मांगीलाल कुमावत के जीवनकाल में ही जुवारा के गोद चला गया था व अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उनके अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत किए गए वकालतनामे पर भी रामचन्द्र दत्तक पुत्र जवारा जाति कुमावत अंकित है जिस पर स्वयं रामचन्द्र द्वारा हस्ताक्षर किए गए है। इन सब तथ्यों से यह बात स्पष्ट है कि रामचन्द्र जुवारा का दत्तक पुत्र है तथा उसकी समस्त आराजीयात पर उसका हक अधिकार बनता है। अब चूंकि मांगीलाल अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 के जाईनदा पिता थे, तथा रामचन्द्र के जुवारा के गोद पुत्र चले जाने से उनकी समस्त आराजीयात में रामचन्द्र का किसी प्रकार का हक हिस्सा निहित नहीं है। चूंकि यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि एक व्यक्ति एक ही पिता की आराजीयात में हक अधिकार बाबत दावा कर सकता है। अब चूंकि अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 जुवारा के गोद चला गया है व उसका नाम राजस्व रिकार्ड में भी दर्ज है तो उसका अपने पिता स्व0 मांगीलाल की आराजीयात पर कोई हक अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपने निर्णय में अंकन किया है कि मांगीलाल के हिस्से की आराजी का खातेदार रेस्पोडेंट/वादी को घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाए व अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त आराजीयात में किसी प्रकार का हक हिस्सा निहित नहीं है व अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में किसी प्रकार की न्यायिक व तकनीकि त्रुटि कारित नहीं हुई है। इसलिए न्यायालय हाजा द्वारा उक्त निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय यथावत रखा जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त किए जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

10. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 190/2014 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2015 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 19.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

19/5/2025

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner

डिगरी ब सीगे अपील

(ओ.41,रूल35 जाप्ता दिवानी)

;Civil Procedure Code, Appendix "G"-9)

अज अदालत : राजस्व अपील प्राधिकारी, मुकाम अजमेर।

ब इजलाशः–रामचन्द्र, आर.ए.एस.

रामचन्द्र तथाकथित दत्तक पुत्र श्री ज्वारा जाति कुमावत निवासी आमली खेडा दाव सावर तहसील सावर जिला अजमेर।

बनाम

छोटूलाल पुत्र मांगीलाल जाति कुमावत निवासी आमली खेडा तहसील सावर जिला अजमेर व अन्य।

(अपील संख्या 331/2016 ब अदालत उपखण्ड अधिकारी केकडी मुबर्खे 15 माह 06 सन् 2015 प्रकरण संख्या 190/2014 बउनवानी छोटू बनाम रामचन्द्र वगैरह)

वाद अन्तर्गत धारा 88,188,209 राज0 काश्त0 अधि.

यह अपील ब तारीख 19 माह 05 सन् 2025 रूबरू राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ब हाजिर श्री शिवप्रकाश चौधरी,अभिभाषक अपीलांट,श्री एस0पी0औझा अभिभाषक रेस्पो संख्या 2/1 से 2/5,,श्री विकास पाराशर, राजकीय अभिभाषक रेस्पोंडेट संख्या 03, रेस्पो संख्या 1,4 से 22 अनुपस्थित,समायत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ हैं कि:–अपील अपीलांटस खारीज की जाती है, तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 190/2014 पारित निणर्य व डिक्री दिनांक 15.06.2015 को यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जैल तादादी मुबलिक –. रूपये– –. अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का– – अदा करें।)

बस्बत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 19 माह 05 सन् 2025 को जारी किया गया।

मोहर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

खर्चा अपील

अपीलांट	रूपये	पैसे	रेस्पोडेन्ट	रूपये	पैसे
1.स्टाम्प अपील	–		1.स्टाम्प वकालतनामा	–	
2.स्टाम्प वकालतनामा	–		2.स्टाम्प अर्जी	–	
3.इजराय हुक्मनामा	–		3.इजराय हुक्मनामा	–	
4.वकील फीस बाबत्	–		4.महनताना वकील	–	
मीजान	–		मीजान	–	

नोटः–इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे निगरानी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये

Scanned with CamScanner